न्यायालय जिला कलक्टर, बीकानेर

बईजलास श्री कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस., जिला कलक्टर, बीकानेर

A6/1

नम्बर मुकदमा 02/2010 रेफरेंस (राजस्व विविध)

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर जिला बीकानेर

प्रार्थी

बनाम

मोहम्मद हसन, मो. उमर पिसरान दीन मोहम्मद कौम मुसलमान साकिन रिडमलसर तहसील बीकानेर

अप्रार्थीगण

रेफरेंस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1– स्टेट की ओर से – विभागीय प्रतिनिधि
2– अप्रार्थी –गणेश आचार्य उपस्थित नहीं ।

आदेश दिनांक 12.02.2020

1. प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि- प्रार्थी स्टेट की ओर से तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर ने रेफरेंस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम शिवबाड़ी खसरा नम्बर 600/178 तादादी 50 बीघा अप्रार्थी के नाम आवंटन होकर रेकार्ड में गैर खातेदारी दर्ज हुई। आवंटी ने उक्त भूमि के बदले ग्राम जोड़बीड़ में भूमि आवंटित करवा ली। आवंटी राजस्व रिकार्ड में बदस्तुर दर्ज है। अतः राज्य हित में रेफरेंस स्वीकार किया जावे।
2. रेफरेंस प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी एवं अधिनस्थ न्यायालय का मूल रिकार्ड तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत करने के पश्चात निरन्तर कई पेशियों पर उपस्थित नहीं आये।
3. तदन्तर विभागीय प्रतिनिधि की मामले के गुणावगुण पर इकतरफा बहस सुनी गई ।

टर, बीकानेर

सत्य प्रतिलिपि जिला कलक्टर बीकानेर

4. स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि की बहस है कि ग्राम शिवबाड़ी के खसरा नम्बर 600/178 तादादी 50 बीघा अप्रार्थी के नाम आवंटन होकर रेकार्ड में गैर खातेदारी दर्ज रही। आवंटी ने तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, उत्तर, बीकानेर से ग्राम जोड़बीड़ के खसरा नं. मीन 1 तादादी 50 बीघा आवंटित करवा ली जिसका नामान्तरणकरण आवंटी के नाम होकर खातेदारी प्राप्त हो गयी। आवंटी को ग्राम शिवबाड़ी में पूर्व में आवंटित रकबे को अराजीराज दर्ज कर भूमि बहक सरकार लिये जाने के आदेश होने चाहिए थे जो नहीं होने से आवंटी को दोहरा लाभ प्राप्त हो गया। प्रकरण में रेफरेंस के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहा है। अतः ग्राम शिवबाड़ी खसरा नम्बर 600/178 तादादी 50 बीघा जो श्री मोहम्मद हसन, मोहम्मद उमर पिसरान दीन मोहम्मद के नाम दर्ज है, को अराजीराज घोषित किये जाने बाबत प्रकरण राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रप्रेषित किया जावे।

A6
/2

5. हमने विभागीय प्रतिनिधि की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। मुताबिक राजस्व रिकार्ड ग्राम शिवबाड़ी तथा ग्राम जोड़बीड़ दोनो ग्रामो की कृषि भूमियां अप्रार्थी के नाम दर्ज है जबकि विनिमय देते समय पूर्व आवंटित भूमि रेकर्ड में अराजीराज दर्ज होनी चाहिए थी। पूर्व आवंटित भूमि राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी के नाम बदस्तुर दर्ज रहने के कारण आवंटी को दोहरा लाभ प्राप्त हो गया। अतः प्रार्थी स्टेट की ओर से प्रस्तुत रेफरेंस प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रप्रेषित किया जाना हम न्यायोचित पाते है।

6. उक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रप्रेषित कर निवेदन है कि ग्राम शिवबाड़ी खसरा नम्बर 600/178 तादादी 50 बीघा जो श्री मोहम्मद हसन, मोहम्मद उमर पिसरान दीन मोहम्मद के नाम दर्ज है, को निरस्त कर उक्त रकबा अराजीराज घोषित किया जावे। तहसीलदार, बीकानेर राजकीय अभिभाषक के मार्फत प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर में अविलम्ब प्रस्तुत करे। उपस्थित पक्षकारान को निर्देश दिये जाते है कि वे माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष दिनांक 15.04.2020 को उपस्थित होवें ।

7. आदेश आज दिनांक 12.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सत्य प्रतिलिपि
कृते जिला कलक्टर
बीकानेर

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर बीकानेर
जिला कलक्टर, बीकानेर